(GI-5, GI-6)

DATE: 12.09.2022 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3¼ Hours**

PAPER : LAW

Answer to questions are to be given only in English except in the case of candidates who have opted for Hindi Medium. If a candidate who has not opted for Hindi Medium. His/her answer in Hindi will not be valued.
Question No. 1 is compulsory.
Candidates are also required to answer any Five questions from the remaining Six Questions.

Answer 1:

1. Ans. a
2. Ans. b
3. Ans. d
4. Ans. c
5. Ans. c
6. Ans. c
7. Ans. d

{1 M Each}

8. Ans. a
9. Ans. b
10. Ans. c
11. Ans. b
12. Ans. b
13. Ans. a
14. Ans. b
15. Ans. a
16. Ans. d

{2 M Each}

17. (i) d
    (ii) b **{2 M Each}**
    (iii) a **{1 M}**

Answer 2:

(a) कम्पनी अधिनियमए, 2013 की धारा 13 कम्पनी के सीमानियम में परिवर्तन की विधि को बताती है। चूंकि कम्पनी सीमानियम का पंजीकृत कार्यालय उपनियम मात्र उस राज्य का नाम दर्शाता है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। कम्पनी का पता मात्र मुम्बई से पुर्ण करने पर कम्पनी के सीमानियम में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, धारा 13 इस केस में लागू नहीं होगी। **{2 M}**

धारा 12(5) के अनुसार कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय एक नगर से दूसरे नगर में शिफ्ट हो जाए जो कि एक ही राज्य में स्थित है, इस आशय के लिए विशेष प्रस्ताव के माध्यम से कम्पनी को अनुमति मिलेगी। फिर भी मान लो कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक ही रजिस्ट्रार हो तो ऐसे परिवर्तन के लिए कम्पनी को रीजनल डायरेक्टर की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। **{3 M}**

Answer:

(b) आंतरिक प्रबंधन के सिद्धान्त के लिए अपवाद (रचनात्मक सूचना के सिद्धान्त की उपयुक्तता):
अनियमितता का ज्ञान : यदि इस ''बाहरी'' व्यक्ति के पास कम्पनी के भीतर अनियमितता का वास्तविक ज्ञान है, तो आंतरिक प्रबन्ध के तहत् लाभ अब उपलब्ध नहीं होगा। वास्तव में, उसे अनियमितता का हिस्सा माना जायेगा। **{2 M}**

लापरवाही : यदि न्यूनतम प्रयास के साथ, किसी कम्पनी के भीतर अनियमितताओं की खोज की जा सकती है, तो आंतरिक प्रबन्ध के नियम का लाभ लागू नहीं होगा। नियम की सुरक्षा भी उपलब्ध नहीं है जहां परिस्थिति कम्पनी उचित जांच नहीं करती है। **{2 M}**

जालसाजी : यह नियम लागू नहीं होता है जहॉ कोई व्यक्ति ऐसे दस्तावेज पर निर्भर करता है जो नकली निकलता है क्योंकि कुछ भी जालसाजी को मान्य नहीं कर सकता किसी कम्पनी को उसके अधिकारियों द्वारा की गई जालसाजियों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। **{1 M}**

Answer:

(c) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 134 के अनुसार, ऋणदाता तथा मुख्य ऋणी के बीच हुए अनुबन्ध से अथवा ऋणदाता के किसी कार्य अथवा भूल के कारण, मुख्य ऋणी अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है तथा प्रतिभू भी अपने दायित्व से मुक्त हो जायेगा। **{2 M}**

प्रश्न में दी गई समस्या में B ने लकड़ी की आपूर्ति नहीं की। अतः C अपने दायित्व से मुक्त हो गया। **{2 M}**

Answer 3:

(a) (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार सरकारी कंपनियों की दशा में प्रथम अंकेक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के निगमन के 60 दिन के भीतर किया जायेगा, और यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो अगले 30 दिनों में कंपनी का निदेशक मंडल प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा, और वह भी यदि नियुक्ति नहीं कर पाता है तो वह सदस्यों को सूचित करेगा, और सदस्य असाधारण साधारण सभा में 60 दिनों के भीतर अंकेक्षक की नियुक्ति करेगें और उसका कार्यकाल प्रथम वार्षिक सभा की समाप्ति तक होगा। **{2 M}**

पश्चात्वर्ती अंकेक्षक की दशा में भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक वित्त वर्ष शुरू होने के 180 दिन के भीतर अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा, जिसका अगली वार्षिक साधारण सभा तक कंपनी में कार्यकाल रहेगा । **{1 M}**

(ii) यदि अंकेक्षक की आकस्मिक रिक्ती हो जाती है तो निदेशक मंडल 30 दिन के भीतर उसकी उसकी रिक्ती को भरेगा और नया अंकेक्षक का कार्यकाल अगली वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक होगा, परन्तु निदेशक मंडल को 3 महीने के भीतर अर्थात् अंकेक्षक की नियुक्ति की 3 महीने के भीतर सदस्यों की साधारण सभा में उनसे सहमति भी लेनी पड़ेगी। **{2 M}**

Answer:

(b) प्रस्तावना अधिनियम के क्षेत्र, लक्ष्य तथा उद्देश्य को लांग टाइटल की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप से व्यक्त करती है। प्रस्तावना में किसी संविधि की पृष्ठभूमि, निर्माण का कारण तथा जिस बुराई के उपचार के लिए इसे निर्मित किया गया, उस बुराई का वर्णन हो सकता है।

लांग टाइटल की भॉति किसी संविधि की प्रस्तावना उस अधिनियमन का एक अंग है और विधिसम्मत ढंग से इसके अभिप्राय में प्रयुक्त किया जा सकता है। फिर भी, प्रस्तावना अधिनियम के सामान्य प्रावधान का अधिरोहण नहीं करती है बल्कि यदि संविधि की शब्दावली उसके उचित निर्माण के विरूद्ध संदेह उत्पन्न करती है, जैसे जहॉ शब्द अथवा वाक्यांश के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं और संदेह उत्पन्न होता है कि अधिनियम के उद्देश्य में कौन–सा अर्थ उचित होगा, तो उचित निर्माण तक पहुँचने के लिए प्रस्तावना का संदर्भ लिया जा सकता है। **{$2^{1/2}$ M}**

संक्षेप में, किसी अधिनियम की प्रस्तावना विधानमण्डल के प्राथमिक उद्देश्य को प्रकटन करती है किन्तु यदि संविधि की भाषा स्पष्ट नहीं है तो केवल निर्माण की सहायता के लिए इसे शामिल किया जा सकता है। फिर भी, यह अधिनियम के प्रावधानों का अधिरोहण नहीं कर सकती है।

किसी प्रॉविजों का सामान्य कार्य अधिनियमन से किसी चीज को छोड़ना अथवा यदि वहॉ प्रॉविजो नहीं है तो अपनी परिधि में अधिनियमन में कथित किसी बात को परिमित करना होता है। प्रॉविजों का प्रभाव उस पूर्ववर्ती अधिनियमन को परिमित करना है जिसे अत्यन्त सामान्य पदों में व्यक्त किया जाता है। सामान्य नियम के रूप में प्रॉविजो किसी अधिनियमन में उसे परिमित करने के लिए संयोजित किया जाता है अथवा उस अधिनियमतन में उपस्थित किसी कथन का कोई अपवाद सृजित करता है : सामान्यतः प्रॉविजों को एक सामान्य नियम के कथन के रूप में व्याख्यायित नहीं किया जाता है। **{$2^{1/2}$ M}**

व्याख्या का यह एक बुनियादी नियम है कि किसी संविधि का कोई विशिष्ट प्रॉविजो केवल उस क्षेत्र तक प्रभावी होता है जिसे मुख्य प्रावधान द्वारा कवर किया जाता है। यह उस प्रमुख प्रावधान के लिए अपवाद निकालता है जिसके लिए इसे प्रॉविजो के रूप में अधिनियमित किया गया है और किसी अन्य के लिए नहीं। (राम नारायण सन्स लि. बनाम सहायक आयुक्त बिक्री कर, एआईआर 1955 एससी 765)।

Answer:

(c) सामान्य वर्ग अधिनियम 1897 के अनुसार अचल सम्पत्ति में शामिल है :

(1) भूमि
(2) भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ
(3) भूमि से जुड़ी हुई चीजें
(4) भूमि से जुड़ी हुई चीजों के साथ स्थायी रूप से जुड़ी हुई चीजें।

{2 M}

यह केवल 4 तत्वों को शामिल करता है, इसलिये इस दशा में X ने जो लकड़ी Y को बेची है, वह उपरोक्त परिभाषा में शामिल नहीं है, इसलिये वह अचल सम्पत्ति नहीं है, जबकि चल सम्पत्ति है, परन्तु भूमि यहां पर अचल सम्पत्त्ति है, क्योंकि वह अचल सम्पत्ति की परिभाषा में आती है। **{2 M}**

Answer 4:

(a) विभेदात्मक अधिकारों वाले समता अंशों के निर्गमन की शर्ते (Conditions for the Issue of equity shares with differential rights) – कोई अंशों द्वारा सीमित कम्पनी ऐसे विभेदात्म्क समता अंशों का निर्गमन नहीं करेगी जिन्हें लाभांश, मतदान अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में विभेद प्राप्त हो, जब तक कि उसने निम्नांकित शर्तो की अनुपालन नहीं की है, नामतः

(a) कम्पनी के अन्तर्नियम, कम्पनी विभेदात्मक अधिकार वाले समता अंशों के निर्गमन को अधिकृत करते है,

(b) ऐसा निर्गमन अंशधारियों की साधारण सभा में साधारण प्रस्ताव द्वारा अधिकृत हुआ है। बशर्ते कि कम्पनी अंश मान्य स्कन्ध विपणि में सूचीकृत है, ऐसे अंशों का निर्गमन अंशधारियों द्वारा पोस्टल बैलट द्वारा अधिकृत किया जाएगा।
प्राईवेट कम्पनी के मामले में धारा 43 लागू नहीं होगी जहाँ प्राईवेट कम्पनी का पार्षद सीमानियम और अन्तर्नियम ऐसा बताता है–अधिसूचना दिनाँक 5 जून, 2015.
निर्दिष्ट आईएफएससी सामाजिक कम्पनी के मामले में, धारा 43 निर्दिष्ट आईएफएससी समाजिक कम्पनी पर लागू नहीं होगी जहाँ ऐसी कम्पनी का पार्षद सीमानियम और पार्षद अन्तर्नियम इसके लिए प्रदान करता है। अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी 2017.

(c) विभेदात्मक अधिकार वाले अंशों की मात्रा, निर्गमन पश्चात् चुकता अंश पूँजी की मात्रा के 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जिसमें किसी भी समय निर्गमित विभेदात्मक अधिकार वाले अंशों का निर्गमन शामिल होगा।

(d) कम्पनी का पिछले तीन वर्षो से विभाजन योग्य लाभ का ट्रेक रिकॉर्ड रहा हो,

(e) कम्पनी ने जिस वित्त वर्ष में ऐसे अंशों के निर्गमन का निर्णय लिया है उससे तुरन्त पिछले तीन वर्षो में कम्पनी ने वित्तीय विवरणों एवं वार्षिक विवरणियों की फाइलिंग में कोई त्रुटि नहीं की हो,

(f) कम्पनी ने घोषित लाभांश के भुगतान, परिपक्व जमाओं के पुनर्भुगतान अथवा शोधन के लिए देय पूर्वाधिकार अंश अथवा ऋणपत्रों के शोधन अथिवा ऐसी जमाओं, ऋणपत्रों पर ब्याज अथवा लाभांश भुगतान में त्रुटि नहीं की है,

(g) कम्पनी ने पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश के भुगतान अथवा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों अथवा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों अथवा अनुसूचित बैंकों से लिए ऋणों की देय राशियों और उन पर देय ब्याज के भुगतान अथवा कर्मचारियों से संबंधित किसी प्राधिकरण को वैधानिक भुगतान अथवा केन्द्रीय सरकार को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में राशि जमा कराने में कोई त्रुटि नहीं की है। बशर्ते कम्पनी वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसे अपराध को सही किया गया था के अन्त से पाँच वर्ष की समाप्ति पर विशेषक अधिकारों से पाँच वर्ष की समाप्ति पर विशेषक अधिकारों के साथ समता अंशों को निर्गमन कर सकती है।

(h) कम्पनी को, RBI Act 1934, SEBI Act, 1992, प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) अधिनियम 1956, FEMA, 1999 अथवा अन्य किसी विशेष अधिनियमों जिनके अधीन कम्पनियों को क्षेत्रीय नियामकों द्वारा नियमित किया जाता है के अधीन, पिछले तीन वर्षो में किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल से जुर्माना नहीं हुआ है।

{1 Mark for each valid point Max 6 Marks}

Answer:

(b) प्रश्न में पूछी गई समस्या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1) के प्रावधानों तथा गैस मीटर कं.लि. बनाम डायाफ्राम एण्ड जनरल लैदर कं.लि. में दिये गये निर्णय पर आधारित है।

धारा 62(1) के अनुसार अंशों द्वारा सीमित तक सार्वजनिक कम्पनी अपने निर्माण के पश्चात् अतिरिक्त अंशों का आवंटन करना चाहती है तो उसके द्वारा ऐसे नये अंशों के निर्गमन का प्रस्ताव वर्तमान अंशधारियों को उन अंशों पर चुकता पूँजी के अनुपात में किया जायेगा। कम्पनी अपने मौजूदा अंशधारकों के वर्ग को नजरअन्दाज नहीं कर सकती है और अपने वर्तमान अंशधारियों को उनके अंशो के अनुपात में आवंटन किया जायेगा। **{4 M}**

मामले के तथ्य के अनुसार कम्पनी के अन्तर्नियमों में व्यवस्था थी कि नए अंश वर्तमान अंशधारियों को प्रस्तुत किये जाएँगे। कम्पनी ने नये अंश गैस कं. जिसके पास नियंत्रक अंश थे, के अलावा, अभी अंशधारियों को प्रस्तावित किये। निर्णय दिया गया कि प्रतिवादी कं. को ऐसा करने से रोका जा सकता है।

दिये गये प्रश्न में उक्त प्रावधानों तथा निर्णय लागू करने पर SV कं.लि. द्वारा VRS कं.लि. को इस आधार पर कि उसके पास पहले काफी मात्रा में अंश थे, अंश प्रस्तावित न करने का निर्णय वैध नहीं है, क्योंकि यह धारा 62(1) (a) के प्रावधानों के तथा उपर्युक्त विवाद में दिये गये निर्णय के विपरीत है।

दूसरे, अंश जारी करने का प्रस्ताव 1 मार्च, 2007 को यानि कम्पनी के निर्णय के 2 वर्ष पश्चात् किया गया है। इसलिए SV कं.लि. का निदेशक मण्डल VRS कं.लि. को अंश आवंटित करने का निर्णय नहीं कर सकता है। जब तक कि कम्पनी द्वारा साधारण सभा में विशेष संकल्प द्वारा इसका अनुमोदन न कर दिया गया हो जैसा कि धारा 81(A) के अनुसार आवश्यक है। **{2 M}**

Answer:

(c) जनरल क्लास अधिनियम, 1897 की धारा 3(26) के अनुसार, 'अचल सम्पत्ति' शामिल होगा।

(i) भूमि
(ii) भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और
(iii) धरती से जुड़ी चीजें या धरती से जुड़ी किसी भी चीज को स्थायी रूप से बांध दिया गया। **{1 M}**

उदाहरण के लिए, पेड़ अचल सम्पत्ति है क्योंकि पेड़ों का लाभ भूमि से उत्पन्न होता है और पृथ्वी से जुड़ा होता है, हालांकि लकड़ी अचल सम्पत्ति नहीं है जैसा कि पृथ्वी पर स्थायी रूप से संलग्न नहीं है। इसी तरह इमारतें अचल सम्पत्ति है। **{1 M}**

Answer 5:

(a) कंपनी द्वारा खरीद या उसके हिस्से की खरीद के लिए उसके द्वारा ऋण देने पर प्रतिबंधः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 67 (3) 8 के अनुसार, कंपनी को अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित सीमाओं के अधीन ऋण देने की अनुमति हैः

(a) कर्मचारी को मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक नहीं होना चाहिए,
(b) ऐसे ऋण की राशि कर्मचारी के छह महीने के वेतन से अधिक नहीं होगी।
(c) सब्सक्राइब किए जाने वाले शेयर पूरी तरह से भुगतान किए जाने वाले शेयर होने चाहिए। **{3 M}**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (51) ''मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक'' (केएमपी) को परिभाषित करती है, जिसमें केएमपी में मुख्य कार्यकारी, कंपनी सचिव, संपूर्ण समय निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी शामिल हो सकते हैं।

दिए गए उदाहरण में, एचआर मैनेजर एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड का केएमपी नहीं है। वह रुपये का वेतन आहरित कर रहा है। 30,000 प्रति माह और 500 रुपये के आंशिक रूप से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को खरीदने के लिए लिया गया ऋण।

कानून के उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी (MNO Private Ltd.) का निर्णय दो कारणों से अमान्य हैः

(i) मानव संसाधन प्रबंधक के 6 महीने से अधिक के ऋण की राशि, जिसने ऋण को रु. 1.8 लाख में सीमित कर दिया है। **{2 M}**
(ii) सब्सक्राइब किए गए शेयर आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर हैं जबकि लाभ केवल पूर्ण रूप से भुगतान किए गए शेयरों की सदस्यता के लिए उपलब्ध है।

Answer:

(b) यदि ऋणदाता प्रतिभू की सहमति के बिना अनुबंध की शर्तो में परिवर्तन कर लेता है तो प्रतिभू अनुबंध की तिथि के बाद होने वाले व्यवहारों के प्रति अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। **{$2^{1/2}$ M}**

इस विवाद में Y, X द्वारा पहले 9 माह के दौरान किए गए गबन के लिए उत्तरदायी है तथा 9 माह के बाद के गबन के लिए, जब से उसका वेतन कम कर दिया गया था, वह उत्तरदायी नहीं है। (भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 133)। **{$2^{1/2}$ M}**

Answer:

(c) बोनस शेयर जारी करना (धारा 63) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 63 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयर जारी कर सकती है, चाहे किसी भी तरीके से –

(i) इसके निशुल्क भंडार

(ii) प्रतिभूतियों का प्रीमियम खाता, या

(iii) पूंजी मोचन आरक्षित खाताः

बशर्ते कि परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाए गए पूंजीगत भंडार द्वारा बोनस शेयरों का कोई मुद्दा नहीं बनाया जाएगा। **{2 M}**

दिए गए तथ्यों के अनुसार, एबीसी लिमिटेड के पास कुल पात्र रुपये की राशि है। 12 लाख (यानी 5.00 + 3.00 + 4.00) जिसमें से बोनस शेयर जारी किए जा सकते हैं और कुल शेयर पूंजी रु. 30.00 लाख। तदनुसारः

(i) 1 : 3 बोनस शेयर जारी करने के लिए रु. की आवश्यकता होगी। 10 लाख (यानी, 1/3 x 30.00 लाख) जो रुपये 12 लाख की उपलब्ध राशि की सीमा के भीतर है तो, एबीसी लिमिटेड 1 : 3 के अनुपात में बोनस अंक के साथ आगे बढ़ सकता है। **{1 M}**

(ii) यदि एबीसी लिमिटेड 1 : 2 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने का इरादा रखता है, तो रुपये की आवश्यकता होगी। 15 लाख (यानी, ½ x 30.00 लाख)। इस मामले में, कंपनी 1: 2 के अनुपात में बोनस शेयरों के मुद्दे के साथ आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि रुपये की आवश्यकता है। 15 लाख रुपये की उपलब्ध पात्र राशि 12 लाख से अधिक है। **{1 M}**

Answer 6:

(a) कोरम का आशय सदस्यों की न्यूनतम संख्या से है जिन्हें सभा को करने के लिए और उस पर व्यवसाय सम्पादित करने के लिए उपस्थित होना चाहिए। इस प्रकार, कोरम सदस्यों की संख्या को दर्शाती है जिनकी उपस्थिति पर कम्पनी की सभा अपने विचार–विमर्श को प्रारम्भ कर सकती है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 सभाओं के लिए कोरम से सम्बन्धित कानून को प्रदान करती है। उपर्युक्त धारा प्रदान करती है कि जहाँ कम्पनी के अन्तर्नियम अधिक संख्या के लिए प्रदान नहीं करती है, तो कोरम सभा की तिथि पर सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है।

सार्वजनिक कम्पनी के मामले में– **{2 M}**

(i) पाँच सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित यदि सभा की तिथि पर सदस्यों की संख्या सौ से अधिक नहीं है।

(ii) पंद्रह सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित यदि सभा की तिथि पर सदस्यों की संख्या सौ से अधिक है लेकिन पाँच हजार तक है।

(iii) तीस सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित, यदि सदस्यों की संख्या सभा की तिथि पर पाँच हजार से अधिक है।

कम्पनी की सभा के लिए कोरम होगी।

कोरम न होने के परिणामः यदि कम्पनी की सभा को आयोजित करने के लिए निर्दिष्ट समय से आधे घण्टे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं होती है– **{2 M}**

(a) सभा आगामी सप्ताह के समान दिन को समान समय और स्थान पर स्थगित हो जायेगी, या

(b) ऐसी अन्य तिथि और ऐसा अन्य समय और स्थान जैसा कि बोर्ड निर्धारित कर सकता है, या

(c) सभा, यदि (धारा 100 के तहत्) मांगकर्ताओं के द्वारा बुलाई गई है, रद्द हो जायेगी । उपर्युक्त मामले में, KMP लिमिटेड कुल 2,750 सदस्यों के साथ सार्वजनिक कम्पनी है, इसलिए वार्षिक सामान्य सभा के लिए मान कोरम बनाने के सम्बन्ध में कम–से–कम 15 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए।

इस प्रकार, सभा स्वयं आगामी सप्ताह में समान दिन, पर समान समय और स्थान पर स्थगित हो जायेगी, यदि कम्पनी की सभा को आयोजित करने के लिए नियुक्त समय के आधे घण्टे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं होती है। आगे, निदेशक मण्डल ऐसी अन्य तिथि और ऐसा अन्य समय और स्थान निर्मित कर सकते हैं जैसा कि उन्हें उचित लग सकता है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा स्वयं ही सभा के आगामी सप्ताह में समान दिन पर समान दिन पर समान समय और स्थान पर स्थगित होने के लिए प्रदान करता है, जबकि अध्यक्ष को सभा के मामले पर निर्णय लेने के लिए विलम्बित कर दिया। अध्यक्ष के निर्णय की मान्यता को प्रश्न उठता ही नहीं। **{3 M}**

Answer:

(b) (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 127 में समय पर लाभांश को बांटने में विफलता की सजा दी जाती है। ऐसी स्थितियों में से एक है जहां शेयरधारक ने लाभांश के भुगतान के संबंध में कम्पनी को निर्देश दिए है और उन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा सकता है और इसके लिए उसे सूचित नहीं किया गया है। **{2 M}**

दी गई परिस्थितियों में, कम्पनी शेयरधारक श्रीमती शीला के साथ संवाद करने में नाकाम रही है, जो कि लाभांश के भुगतान के संबंध में उसकी दिशा का अनुपालन नहीं करती है इसलिए धारा 127 के तहत् दण्डात्मक प्रावधान लागू होंगें। **{$1^{1/2}$ M}**

(ii) धारा 127, अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि कोई भी अपराध नहीं किया होगा, जहां कानून के संचालन के कारण लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता है। वर्तमान परिस्थति में, लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता क्योंकि अदालत ने उत्तराधिकार के बारे में इस बात को हल होने तक भुगतान करने की अनुमति नहीं दी थी। इसलिए, कम्पनी और इसके निदेशकों आदि पर कोई देयता नहीं होगी। **{$3^{1/2}$ M}**

Answer 7:

(a) ''आवंटन'' का अर्थ किसी कम्पनी के पहले गैर–विनियोगित पूँजी में से निश्चित संख्या में व्यक्ति को अंशों को विनियोग करना है।

(1) किसी कम्पनी द्वारा जनता को प्रस्तावित प्रतिभूतियों का आवंटन तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि प्रविवरण में उल्लिखित न्यूनतम राशि का अभिदान प्राप्त नहीं हुआ हो, और ऐसी राशि की आवेदन पर देय राशि का भुगतान चेक अथवा अन्य प्रपत्र द्वारा होकर कम्पनी को प्राप्त हो चुका है।

(2) प्रत्येक प्रतिभूति के लिए आवेदन पर देय राशि नामांकित राशि के 5 प्रतिशत से कम नहीं होगी। अथवा ऐसी अन्य प्रतिशत अथवा राशि जिसे SEBI द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। **{$2^{1/2}$ M}**

(3) यदि उल्लिखित न्यूनतम राशि का, अभिदान नहीं हुआ है और प्रविवरण की तिथि से तीस दिन के अन्दर या अन्य ऐसी अवधि जिसे प्रतिभूतियों और विनिमय बोर्ड के द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है के अन्दर आवेदन पर देय राशि प्राप्त नहीं हुई है, तब उप धारा (1) के अंतर्गत प्राप्त राशि उतने समय के अंदर वापस कर दी जायेगी जैसा कि निर्धारित किया गया है।

(4) आवंटन विवरणी का दाखिला–जब भी कोई अंशपूंजी वाली कम्पनी प्रतिभूतियों का आवंटन करती है, उसे निर्धारित विधि से रजिस्ट्रार को आवंटन विवरणी दाखिल करनी होगी। **{$2^{1/2}$ M}**

(5) प्रावधानों की अवहेलना पर अर्थदण्ड–अवहेलना की स्थित में कम्पनी और उसका प्रत्येक दोषी अधिकारी, प्रत्येक त्रुटि के लिए रुपये एक हजार प्रतिदिन की दर से त्रुटि की अवधि के लिए अर्थदण्ड, या रुपये एक लाख जो भी कम है अधिरोपित किया जायेगा।

Answer:

(b) भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 84 के अनुसार प्रधान तथा तीसरे पक्ष के बीच एक अवयस्क भी एजेन्ट नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अवयस्क एजेन्ट को प्रधान के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। **{$2^{1/2}$ M}**

यदि अनुबंध के अयोग्य व्यक्ति को एजेन्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है तो प्रधान तीसरे पक्ष के प्रति दायी होगा। **{$1^{1/2}$ M}**

इस प्रकार दिये गये प्रश्न में D को घड़ी का अच्छा स्वामित्व प्राप्त होगा। M, A के प्रति अपनी गलती अथवा असावधानी के लिए उत्तरदायी नहीं है। **{1 M}**

Answer:

(c) भ्रम और मिश्रण से बचने के लिए, प्रस्तावों को अलग–अलग प्रस्तावित किया जाता है। हालांकि, कुछ भी अवैध नहीं है यदि सभी के अध्यक्ष इच्छा करते हैं कि दो या दो से ज्यादा प्रस्तावों को साथ में प्रस्तावित किया जाना चाहिए जब तक कि कोई भी सदस्य मांग नहीं करता कि प्रत्येक प्रस्ताव को मतदान के लिए अलग से रखना चाहिए या जब तक कि किसी के संबंध में मतदान की मांग नहीं की जाती है। **{2 M}**

एक मात्र ऐसा मामला जहॉ प्रस्ताव को अलग से प्रस्तावित कराया जाना चाहिए वह है कि जिसकी आवश्यकता है कि सार्वजनिक या प्राईवेट कम्पनी की आम सभा में निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में जहॉ दो या दो से अधिक निदेशकों का एक प्रस्ताव के द्वारा निदेशकों के रूप में नियुक्ति की जा सकती है।
जहॉ कई प्रस्तावों का नोटिस दिया गया है, प्रत्येक प्रस्ताव को अलग से रखा जायेगा हालांकि यदि सभा सभी प्रस्तावों को सर्वसहमति से स्वीकार करती है, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है। **{2 M}**
उपरोक्त दशा में सभी व्यवसायों को एक साथ सम्पादित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दो व्यवसाय निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित है, जिन्हें प्रथक प्रस्ताव पारित करके पास किया जायेगा। अन्य 7 व्यवसाय सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव द्वारा पारित किये जा सकते हैं।

__**__